प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 08.04.2024 को जनपद में अपराधियों के विरूद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः-

- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त फूलचन्द्र पुत्र राम पाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम पिपरी थाना देहात कोतवाली जनपद बांदा हाल पता सङवा पतरा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0076/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त पंकज सिंह उर्फ योगेन्द्र सिंह पुत्र मर्दान सिंह निवासी लोधीपुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से दो प्लास्टिक की पिपियों में 10-10 लीटर कुल 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 74/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त सोहन सिंह पुत्र दीप सिंह निवासी ग्राम गुरुगवाँ थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के कब्जे से दो प्लास्टिक की पिपियों में कुल 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0075/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 23 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।